

PRIMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the Court of Shri. Usha Uikey, Judl. Magistrate First Class-Bhainsdehi..

12

Case No. 1037 of 2022

CIS No. Sum/639 2022

Complaint or report on सावनेर

Name and address of the complainant

Name, parentage, caste and address of accused

बिजय पिता मन्व उम्र-20 वर्ष, निवासी-राम-

सावनेर थाना-सावनेर जिला-बैतूल (म.प्र.)

The offence complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 27/11/21 को 18:30 बजे स्थान जमरेंद सावनेर

में अंको के आधार पर हारजीत का दांव लगाकर सट्टा जुआ नामक खेल खेलते पाए गए ?

इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो कि सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो ?

(ऊषा उईके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल

The ples of the accused and his examination (if any) -

अभियुक्त का अभिवाक हैं कि :-

राम-जीत

(ऊषा उईके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल

The offence proved, if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

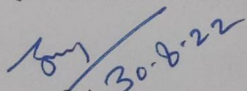
आज दिनांक-30/8/2022 को घोषित किया गया

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपित अपराध के स्वरूप को देखते हुये अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में आरोपी 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

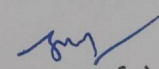
प्रकरण में जप्तशुदा राशि राजसात की जाकर कोषालय में जमा की जावे, शेष सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में दिनांकित, घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे निर्देश में टंकित किया गया।


(ऊषा उईके)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल


(ऊषा उईके)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल